RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
सितम्बर
23
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

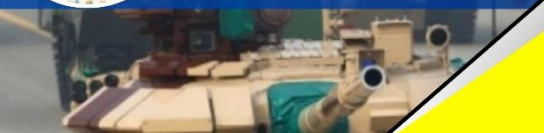

By Ankit Avasthi Sir

भारत और अमेरिका के बीच आईपीईएफ समझौतों पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान **क्वाड शिखर सम्मेलन** में भाग लेते हुए **स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था,** और **व्यापक आईपीईएफ (भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा)** समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता (स्तंभ-III):

- ✓ **इस समझौते का मुख्य उद्देश्य:**
  - **तकनीकी सहयोग** और **श्रम बल विकास** को बढ़ावा देना।
  - **स्वच्छ ऊर्जा** और **जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों** के विकास में सहयोग करना।
  - **ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, और ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी)** उत्सर्जन में कमी लाने के लिए संयुक्त प्रयास करना।
- ✓ **मुख्य पहलें:**
  - निवेश और परियोजना वित्तपोषण में रियायतें।
  - एमएसएमई के लिए तकनीकी सहायता।
  - वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण।

निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता (स्तंभ-IV):

- ✓ **इस समझौते का उद्देश्य:**
  - **पारदर्शिता** और **पूर्वानुमानित व्यापार** वातावरण को विकसित करना।
  - **भ्रष्टाचार**, **मनी लॉन्ड्रिंग** और **आतंकवाद** के वित्तपोषण से निपटने के लिए सहयोग।
- ✓ **मुख्य पहलें:**
  - सूचना साझा करना और संपत्ति की वसूली को सुविधाजनक बनाना।
  - भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।

व्यापक आईपीईएफ समझौता:

- ☑ यह समझौता एक **प्रशासनिक तंत्र स्थापित** करेगा, जो विभिन्न व्यक्तिगत आईपीईएफ समझौतों पर उच्च-स्तरीय निगरानी करेगा।
- ☑ विषय समझौतों (स्तंभ II-IV) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा, जिससे भारत की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

आईपीईएफ के बारे में :

आईपीईएफ की स्थापना **23 मई 2022** को **टोक्यो** में हुई थी, जिसमें **14 देशों** का सहयोग शामिल है, जैसे **भारत, अमेरिका, जापान**, और अन्य। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, आर्थिक स्थिरता, और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसमें चार प्रमुख स्तंभ हैं:

- व्यापार (स्तंभ I)
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (स्तंभ II)
- स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III)
- निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV)

IPEF
INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY

आईपीईएफ निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलें

1. निवेशक फोरम:

- ☑ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ-III) समझौते के तहत, **23 अरब अमेरिकी डॉलर (1.91 लाख करोड़ रुपये)** की प्राथमिकता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई।
- ☑ भारत से लगभग **4 अरब अमेरिकी डॉलर (33,200 करोड़ रुपये)** की निवेश योजना बनाई गई, जो भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनियों में जाएगा।
- ☑ यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) ने जलवायु निवेश और ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने के लिए **1.5 अरब अमेरिकी डॉलर (12,450 करोड़ रुपये)** की प्रतिबद्धता जताई।

2. आईपीईएफ के तहत फंड:

- ☑ **आईपीईएफ उत्प्रेरक पूंजी कोष** की स्थापना की, जिसका लक्ष्य **3.3 अरब अमेरिकी डॉलर (27,390 करोड़ रुपये)** का निजी निवेश उत्प्रेरित करना है। प्रारंभ में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया और अमेरिका से **33 मिलियन अमेरिकी डॉलर (273.9 करोड़ रुपये)** का अनुदान प्राप्त हुआ।
- ☑ **पीजीआई निवेश त्वरक** को **300 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2,490 करोड़ रुपये)** का प्रारंभिक वित्तपोषण मिला है।

3. आईपीईएफ पहल:

- **कौशल उन्नयन पहल:** सितंबर **2022** में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। अमेरिका ने 14 कंपनियों के माध्यम से **10.9 मिलियन** अपस्किलिंग अवसर प्रदान किए, जिनमें भारत **ने 4 मिलियन अवसरों** का लाभ उठाया।
- **महत्वपूर्ण खनिज संवाद:** खनिज संसाधनों का मानचित्रण और तकनीकी सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना।
- **टेक काउंसिल:** प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर समन्वय और सहयोग के लिए स्थापित की गई, जिसमें साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और समुद्र के अंदर केबल शामिल हैं।
- **सहकारी कार्य कार्यक्रम (सीडब्ल्यूपी):** स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाना।

वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024

भारत ने **ग्लोबल साइबर सुरक्षा इंडेक्स (GCI) 2024** में **शीर्ष टियर यानी टियर 1** का दर्जा प्राप्त किया है। यह मान्यता **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)** द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें भारत ने **100 में से 98.49** का उत्कृष्ट स्कोर हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ, भारत **'रोल-मॉडलिंग'** देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो देश की साइबर सुरक्षा प्रयासों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई):

- ✓ वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जो **विश्व स्तर पर देशों की साइबर सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता** को मापता है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा के महत्व और विभिन्न आयामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- ✓ चूंकि साइबर सुरक्षा का क्षेत्र कई उद्योगों और क्षेत्रों में फैला हुआ है, इसलिए प्रत्येक देश के विकास या जुड़ाव के स्तर का मूल्यांकन **कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग** पाँच स्तंभों के आधार पर किया जाता है।
- ✓ इन स्तंभों के माध्यम से एक समग्र स्कोर तैयार किया जाता है, जो देशों की साइबर सुरक्षा स्थितियों का विश्लेषण करता है।
- ✓ **बहु-हितधारक दृष्टिकोण:** जीसीआई विभिन्न संगठनों की क्षमता और विशेषज्ञता का लाभ उठाता है, जिसका लक्ष्य सर्वेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, और इस विषय पर ज्ञान का आदान-प्रदान करना है।

दूरसंचार विभाग की भूमिका:

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह साइबर सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारत के दूरसंचार क्षेत्र की उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर करता है।"

GCI 2024 का मूल्यांकन:

GCI 2024 ने पांच मुख्य स्तंभ:

1. कानूनी
2. तकनीकी
3. संगठनात्मक
4. क्षमता विकास
5. सहयोग

इसमें **83 प्रश्नों के माध्यम से 20 संकेतकों, 64 उप-संकेतकों और 28 माइक्रो-संकेतकों** को कवर किया गया है, जो प्रत्येक देश के साइबर सुरक्षा परिदृश्य का व्यापक मूल्यांकन करता है।

भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति:

- भारत का यह बेहतर प्रदर्शन सरकार की **साइबर रेजिलिएंस** बढ़ाने के लिए की गई पहलों का परिणाम है। देश की कानूनी संस्थाएं साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और साइबर अपराध से लड़ने के लिए तैयार हैं।
- इसके अतिरिक्त, **सेक्टोरल कंप्यूटर इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीमें (सीएसआईआरटी)** तकनीकी सहायता और घटना रिपोर्टिंग प्रदान करती हैं, जो साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करती हैं।
- **शिक्षा और जागरूकता :** भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति में शिक्षा और जागरूकता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लक्षित अभियान और शैक्षिक पहलें विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा का समावेश शामिल है।
- **अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :** भारत में प्रोत्साहन और अनुदान ने कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों** के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने भारत की **साइबर सुरक्षा क्षमताओं** को और मजबूत किया है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)

- ✓ **संस्थापक:** ITU, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
- ✓ **सदस्य:** **194 सदस्य देश** और **1000** से अधिक **कंपनियाँ**, **विश्वविद्यालय** और अन्य संगठन शामिल हैं।
- ✓ **मुख्यालय:** **जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में स्थित है।
- ✓ **स्थापना वर्ष:** **1865**, टेलीग्राफ़ के आरंभ से दुनिया को जोड़ने का कार्य कर रहा है।

ITU के कार्य:

- ☑ **वैश्विक संचार नेटवर्क:** **अंतरराष्ट्रीय संपर्क** को सुगम बनाना।
- ☑ **रेडियो स्पेक्ट्रम आवंटन:** **वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम** और **उपग्रह कक्षाएँ** आवंटित करना।
- ☑ **तकनीकी मानक विकास:** नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के बीच निर्बाध संबंध सुनिश्चित करने के लिए मानक विकसित करना।
- ☑ **डिजिटल प्रौद्योगिकियों की पहुँच:** वंचित समुदायों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बेहतर बनाना।

ITU का महत्व:

- ☑ **डिजिटल संपर्क:** सभी के लिए डिजिटल संपर्क लाने का प्रयास करना।
- ☑ **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** सदस्यों और भागीदारों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय समझौतों और मानकों को आगे बढ़ाना।
- ☑ **ज्ञान साझा करना:** तकनीकी ज्ञान साझा करना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।

प्रौद्योगिकी का प्रभाव:

- **ITU के कार्यों पर निर्भरता:** **मोबाइल फोन, ईमेल, इंटरनेट, टीवी, मौसम पूर्वानुमान, और उपग्रह चित्रों** के उपयोग में ITU का योगदान महत्वपूर्ण है।
- **डिजिटल विभाजन:** **2.6 बिलियन लोग**, विशेषकर विकासशील देशों में, बिना किसी कनेक्शन के रह जाते हैं। ITU इस डिजिटल विभाजन को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है।

गवाह संरक्षण योजना, 2018

सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय न्याय प्रणाली** में **गवाहों की स्थिति** को दयनीय बताते हुए **गवाह संरक्षण योजना, 2018** के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी पर चिंता व्यक्त की।

दांडिक न्याय प्रणाली में **साक्षियों और उनके साक्ष्य** की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपराधिक मामलों में, साक्षियों का महत्व अत्यधिक होता है, लेकिन अक्सर साक्षियों को **धमकाया या प्रलोभित** किया जाता है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, न्याय प्रणाली पीड़ितों को न्याय दिलाने में असफल हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए साक्षियों को सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है।

- ✓ **साक्षी की परिभाषा :** साक्षी वह व्यक्ति होता है जो किसी **न्यायिक अधिकरण** के समक्ष **साक्ष्य या बयान** देता है। दंड प्रक्रिया संहिता में **'साक्षी'** की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन न्यायालय किसी भी चरण में किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है। यदि किसी व्यक्ति की गवाही मामले के न्यायसंगत निपटान के लिए आवश्यक होती है, तो उसे फिर से बुलाया जा सकता है।
- ✓ **साक्षियों को संरक्षण प्रदान करने का महत्व :** दांडिक न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य समाज को **अपराधियों से सुरक्षित रखना और कानून तोड़ने वालों को दंडित** करना है। प्रभावी न्याय प्रणाली में अपराध से पहले की घटनाओं की जांच की जाती है। साक्षियों के जरिए साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालयों को तथ्यों को सिद्ध करने में मदद मिलती है।
- ✓ **भारत में साक्षियों के संरक्षण संबंधी कानून :** भारत में साक्षियों के संरक्षण के लिए पहले से कुछ प्रावधान मौजूद थे, लेकिन कोई **समर्पित कानून नहीं** था। साक्षियों का कर्तव्य होता है कि वे सच बोलें, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- ✓ **योजना की आवश्यकता और औचित्य :** 1958 में **विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट** में साक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता की बात की गई थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग और विधि आयोग की अन्य रिपोर्टों में भी साक्षियों की समस्याओं का उल्लेख किया गया और उनके संरक्षण की सिफारिश की गई। उच्चतम न्यायालय ने भी साक्षियों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है।

साक्षी संरक्षण योजना, 2018:

- ☑ गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, तथा राज्य सरकारों के परामर्श से **"साक्षी संरक्षण योजना, 2018"** तैयार की। उच्चतम न्यायालय ने **2016 में महेन्दर चावला बनाम भारत संघ के मामले** में इस योजना को स्वीकृति दी, जिसमें निर्देश दिया गया कि भारत संघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसे अक्षरशः लागू करें। यह योजना संविधान के **अनुच्छेद 141/142** के अंतर्गत एक **'कानून'** के रूप में मान्य होगी।

योजना के उद्देश्य और लक्ष्य:

- ☑ साक्षी संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साक्षियों को **हिंसा या अन्य आपराधिक तरीकों** से धमकाया न जाए, जिससे आपराधिक मामलों की **जांच, अभियोजन और सुनवाई प्रभावित** न हों। यह योजना विधि प्रवर्तन एजेंसियों और न्याय प्रशासन को सहयोग देकर कानून को लागू करने का प्रयास करती है।

सक्षम प्राधिकारी

इस योजना के तहत हर जिले में एक स्थायी समिति बनाई जाएगी, जिसमें:

- ☑ **सभापति:** जिला और सत्र न्यायाधीश
- ☑ **सदस्य:** जिले के पुलिस प्रमुख
- ☑ **सदस्य सचिव:** जिले में अभियोजन के प्रमुख

राज्य साक्षी संरक्षण निधि:

इस योजना के अंतर्गत एक राज्य साक्षी संरक्षण निधि का प्रावधान किया गया है। यह निधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाएगी। इसके स्रोत में शामिल हैं:

- **राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजटीय आवंटन**
- **न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा जुर्माने की राशि**
- **सरकारी अनुमति प्राप्त दान/अंशदान**
- **कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत योगदान**

साक्षी की श्रेणियां:

साक्षियों की सुरक्षा के लिए खतरे के आधार पर तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं:

1. **श्रेणी 'क':** जहाँ साक्षी या उसके परिवार को जान का खतरा हो।
2. **श्रेणी 'ख':** जहाँ सुरक्षा, सम्मान या संपत्ति पर खतरा हो।
3. **श्रेणी 'ग':** जहाँ सामान्य खतरा हो, जो डराने-धमकाने या प्रतिष्ठा/संपत्ति से संबंधित हो।

यह योजना साक्षियों के संरक्षण के लिए एक संरचित और कानूनी ढाँचा प्रदान करती है, जिससे न्यायालयों में साक्षियों की भूमिका को सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सके।

विश्व गैंडा दिवस 2024

विश्व गैंडा (राइनो) दिवस हर साल **22 सितंबर** को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य **गैंडों के संरक्षण** के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन गैंडों के सामने आने वाले **अवैध शिकार और आवास क्षति** जैसे गंभीर खतरों को उजागर करता है और उनके संरक्षण में शामिल व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देता है। साथ ही, **पारिस्थितिक संतुलन, सांस्कृतिक धरोहर, और भविष्य** की पीढ़ियों के लिए गैंडों की आबादी को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है।

भारतीय गैंडे का परिचय:

भारतीय गैंडा **तीन एशियाई गैंडे प्रजातियों** में **सबसे बड़ा** है, जिसका एक सींग होता है। **जावन गैंडा** भी इसी तरह का एक सींग वाला होता है, जबकि **सुमात्रा गैंडे** के दो सींग होते हैं।

गैंडे की पारिस्थितिकी:

गैंडे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़े **शाकाहारी** होते हैं, जिनके चरने से **घास के मैदानों** में खुले स्थान बनते हैं, जो अन्य वन्यजीवों के लिए सहायक होते हैं। उनके दलदलों में लोटने से **जलकुंड** भी बनते हैं, जो विभिन्न प्रजातियों को पानी उपलब्ध कराते हैं।

भारतीय गैंडे का संरक्षण:

भारत का बड़ा **एक सींग वाला गैंडा संरक्षण** की एक सफलता की कहानी है। **असम** के **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** में इस गैंडे की **70% से अधिक आबादी** निवास करती है। असम में गैंडों के संरक्षण में वन विभाग और स्थानीय समुदायों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप गैंडे की **आबादी 1980 के दशक से लगभग 170% बढ़** गई है।

असम का काजीरंगा मॉडल:

काजीरंगा मॉडल को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जो **वन्यजीव संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी रणनीतियों**, और पुनर्वनीकरण कार्यक्रमों को एकीकृत करता है। इसके कारण गैंडों के दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयास सफल हुए हैं।

असम में गैंडे के संरक्षण की प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. **जनसंख्या वृद्धि:** 1960 के दशक में **600 गैंडों** से बढ़कर 2024 में **4,000** से अधिक हो गए हैं।
2. **वैश्विक आबादी**: **ग्रेटर काजीरंगा** में इस प्रजाति की वैश्विक आबादी का **70% हिस्सा** निवास करता है।
3. **पर्यटन स्थल:** काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक **प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल** के रूप में विकसित हो चुका है।
4. **प्रधानमंत्री का दौरा:** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा संरक्षण प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है।
5. **आवास का विस्तार:** ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में **200 वर्ग किमी** से अधिक का विस्तार और लाओखोवा-बुराचपोरी वन्यजीव अभयारण्य का पुन: दावा।
6. **नए संरक्षित क्षेत्र: सिकनाझार राष्ट्रीय उद्यान** और **पोबा वन्यजीव अभयारण्य** जैसे नए क्षेत्र गैंडों के लिए सुरक्षित किए गए हैं।
7. **अवैध शिकार के प्रति शून्य सहिष्णुता: 2,479 गैंडे** के सींगों का ऐतिहासिक रूप से जलाया जाना असम की अवैध शिकार के प्रति **शून्य-सहिष्णुता** नीति का प्रतीक है।
8. **कानूनी उपाय :**भारत में गैंडों के संरक्षण के लिए कई कानूनी कदम उठाए गए हैं, जो स्वतंत्रता से पहले और बाद में लागू किए गए थे। इनमें प्रमुख हैं:
   - **असम वन संरक्षण अधिनियम, 1891** और **बंगाल गैंडा संरक्षण अधिनियम, 1932** – ये कानून गैंडों को मारने, घायल करने, या पकड़ने पर प्रतिबंध लगाते हैं।
   - **असम गैंडा संरक्षण अधिनियम, 1954** – स्वतंत्रता के बाद इसे मजबूत किया गया।
   - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** और इसके **2009 के असम संशोधन** – अवैध शिकार के लिए कड़े दंड, जिसमें बार-बार अपराधियों के लिए आजीवन कारावास और भारी जुर्माना शामिल है।
   - **भारतीय राइनो विजन 2005 कार्यक्रम** – यह कार्यक्रम गैंडों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है।

काजीरंगा की सफलता की कहानी

2022 तक **2,613** गैंडों के साथ **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** एक **वैश्विक मॉडल** बन चुका है। सख्त सुरक्षा उपायों, स्मार्ट गश्त, और सामुदायिक भागीदारी ने इस सफलता में अहम योगदान दिया है। इसके अलावा, **इको-टूरिज्म** को बढ़ावा देकर, पर्यटन से होने वाली आमदनी को संरक्षण में फिर से निवेश किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

गैंडे के संरक्षण के लिए मुख्य खतरे:

वैश्विक स्तर पर गैंडों की प्रजातियों का भविष्य अनिश्चित है। 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी आबादी लगभग **500,000** थी, जो आज घटकर **28,000** से कुछ ज़्यादा रह गई है।

गैंडों के लिए मुख्य खतरे इस प्रकार हैं:

- ☑ **अवैध तस्करी :** पारंपरिक चिकित्सा और स्टेटस सिंबल के लिए चीन और वियतनाम में गैंडे के सींगों की मांग के कारण, पिछले दशक में लगभग **10,000 गैंडों** को मारा गया।
- ☑ **संरक्षण चुनौतियाँ :** बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए आवास की आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित खतरों के साथ-साथ **मानव-वन्यजीव संघर्ष।**

निष्कर्ष: विश्व गैंडा दिवस गैंडों को विलुप्त होने से बचाने के वैश्विक प्रयासों की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है। असम में काजीरंगा का संरक्षण मॉडल वन्यजीव संरक्षण में एक प्रेरणा के रूप में खड़ा है। हालाँकि, अवैध शिकार, आवास की हानि, और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास और सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। इस दिन, हम गैंडों की रक्षा और उनके आवास को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुन: सशक्त करते हैं।

खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी (FIRA) पोर्टल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने नई सरकार की पहली 100 दिनों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते **हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI)** द्वारा विकसित किए गए एक **ऑनलाइन पोर्टल** का उल्लेख किया, जिसका नाम **खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी (FIRA)** है। यह पोर्टल जनता और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उन खाद्य आयात खेपों की जानकारी देगा जिन्हें **खराब सुरक्षा मानकों** के कारण भारत द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह कदम **खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों** से बचाव के लिए त्वरित जानकारी साझा करने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

प्रमुख बिंदु:

- ✓ **FIRA पोर्टल का उद्देश्य:**
  - अस्वीकृत खाद्य खेपों पर **तत्काल अलर्ट** उत्पन्न करना।
  - **सूचना के त्वरित आदान-प्रदान** के लिए एक **इंटरएक्टिव इंटरफ़ेस।**
  - खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को **जोखिम की रोकथाम और नियंत्रण** में मदद करना।
- ✓ **खाद्य आयात अस्वीकृति:**
  - FSSAI ने पिछले वर्ष विभिन्न देशों से **आयातित 1,500 से** अधिक खाद्य पदार्थों को खारिज कर दिया, जिसमें अखरोट, सेब, व्हिस्की, पनीर, बादाम, और खजूर जैसे उत्पाद शामिल हैं।
  - यह पोर्टल **ट्रेसेबिलिटी और पारदर्शिता** सुनिश्चित करने के साथ-साथ **खाद्य सुरक्षा प्रबंधन** को सुदृढ़ करेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियां:

1. **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) का विस्तार:**
   - ☑ **70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों** को अब इस योजना में शामिल किया गया है।
   - ☑ इसका लाभ **60 मिलियन से अधिक लोग** प्राप्त करेंगे।
2. **यू-विन पोर्टल:**
   - ☑ यह पोर्टल **टीकाकरण सेवाओं** को **डिजिटल** करने के लिए बनाया गया है, जिसका उपयोग गर्भवती महिलाओं और 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगा।
   - ☑ अब तक 64 मिलियन लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है और 230.6 मिलियन वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं।
3. **टीबी उपचार में सुधार:**
   - ☑ नई व्यवस्था के तहत टीबी के उपचार की अवधि को 9-12 महीने से घटाकर 6 महीने किया गया है।
   - ☑ इस नई उपचार पद्धति को **राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)** के अंतर्गत उपयोग किया जाएगा।
4. **मेडिकल शिक्षा में सुधार:**
   - ☑ स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है, जिससे **डॉक्टरों की उपलब्धता** बढ़ेगी।
   - ☑ स्नातक सीटें 2024-25 में **115,812 और पीजी सीटें 73,111** हो गई हैं।
5. **राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (NMR) की शुरुआत:**
   - ☑ यह **सभी पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों** का एक **डायनामिक डेटाबेस** है, जिससे डॉक्टरों को **प्रामाणिक** किया जा सकेगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006** के तहत की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधीन खाद्य संबंधी मुद्दों को समेकित करना और एकल नियंत्रण तंत्र के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानकों को स्थापित करना है।

उद्देश्य: FSSAI का मुख्य उद्देश्य **खाद्य पदार्थों** के लिए **विज्ञान-आधारित मानक** तैयार करना और यह सुनिश्चित करना है कि मानव उपभोग के लिए उपलब्ध भोजन सुरक्षित और पौष्टिक हो। इसका कार्यक्षेत्र खाद्य पदार्थों के **निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात** तक विस्तारित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की मुख्य विशेषताएं:

- ☑ इस अधिनियम के तहत कई पुराने केंद्रीय अधिनियम जैसे **खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973** आदि को निरस्त कर दिया गया है।
- ☑ अधिनियम एकल संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिससे **बहु-स्तरीय नियंत्रण** को समाप्त कर दिया गया है।
- ☑ FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करेंगे।

FSSAI के प्रमुख कार्य:

1. **खाद्य मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करना** - विज्ञान आधारित मानकों को लागू करने के लिए विनियमों का निर्माण।
2. **खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन** - प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।
3. **प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन** - प्रयोगशालाओं की अधिसूचना और प्रत्यायन के लिए प्रणाली का विकास।
4. **वैज्ञानिक सलाह** - केंद्र और राज्य सरकारों को **खाद्य सुरक्षा, जैविक जोखिम, संदूषक और अन्य खतरों** के बारे में तकनीकी सहायता प्रदान करना।

भारत पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक रिपोर्ट ने भारत में बढ़ते कार्य घंटों और इससे उत्पन्न हो रही विषाक्त कार्य संस्कृति की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। भारत में, लगभग **51% कार्यबल प्रति सप्ताह 49 घंटे से अधिक काम** करता है, जो देश को इस सूची में दुनिया में दूसरे स्थान पर रखता है। भूटान, जहां **61% जनसंख्या** इतनी ही अवधि तक काम करती है, इस मामले में शीर्ष स्थान पर है। यह डेटा एक गंभीर संकेत है, खासकर जब भारत भविष्य में अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को भुनाने की तैयारी कर रहा है।

भारत की कार्य संस्कृति और उसकी चुनौतियाँ:

- ✓ भारत में **2030** तक कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या **1.04 बिलियन** तक पहुंचने की संभावना है, जो देश की कुल आबादी का लगभग **68.9%** होगा। ऐसे में देश का निजी और सरकारी क्षेत्र इस बड़े कार्यबल से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं, लेकिन इसके साथ-साथ श्रमिकों की कार्य गुणवत्ता और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- ✓ लंबे कार्य घंटों और अत्यधिक कार्यभार के कारण उत्पन्न तनाव और चिंता ने उस युवा कर्मचारी के जीवन को समाप्त कर दिया, जिससे **कार्य-जीवन संतुलन** की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

भारत के लिए चेतावनी:

ILO की रिपोर्ट भारत के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी है कि यदि इस **विषाक्त कार्य संस्कृति** को नियंत्रित नहीं किया गया, तो इससे न केवल **व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर नकारात्मक** प्रभाव पड़ेगा, बल्कि यह देश की उत्पादकता और भविष्य की संभावनाओं को भी बाधित कर सकता है।

समाधान की दिशा में कदम:

- **कार्य-जीवन संतुलन का महत्व:** कॉर्पोरेट जगत और सरकारी क्षेत्र को यह समझने की जरूरत है कि **लंबे कार्य घंटे हमेशा उत्पादकता** को नहीं बढ़ाते। टिकाऊ कार्य वातावरण और मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण आवश्यक है।
- **नीतियों का पुनर्विचार:** नियोक्ताओं को कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए कार्य नीति में बदलाव करना चाहिए।
- **विषाक्त कार्य संस्कृति का उन्मूलन:** एक स्वस्थ और सहयोगी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जहां कर्मचारियों की भलाई को सबसे पहले रखा जाए।

ILO की रिपोर्ट और हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि भारत को अपने कार्यबल के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित की जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- ✓ **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** एक वैश्विक संगठन है, जो कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है।
- ✓ इसकी **स्थापना 1919** में की गई थी और यह **संयुक्त राष्ट्र (UN)** की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- ✓ ILO का मुख्यालय **जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में स्थित है।
- ✓ **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के सदस्य देशों की **संख्या 187** है।

ILO के मुख्य उद्देश्य:

- ☑ **श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा:** ILO दुनिया भर में **श्रमिकों के अधिकारों** की रक्षा करने, **उचित वेतन, सुरक्षित कार्य** परिस्थितियों और उचित कार्य घंटों को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है।
- ☑ **कार्यस्थल पर सामाजिक न्याय:** ILO का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और कामकाजी परिस्थितियों को निष्पक्ष और समान बनाना है।
- ☑ **कार्य की शर्तों में सुधार:** संगठन का एक मुख्य उद्देश्य विश्वभर में कामकाजी स्थितियों में सुधार लाना और काम के लिए **स्वस्थ, सुरक्षित**, और **संतुलित वातावरण** तैयार करना है।
- ☑ **अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का विकास:** ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्माण करता है, जिनमें **न्यूनतम वेतन, श्रम अधिकार, और कार्य घंटों** की सीमाएं शामिल हैं।

ट्राई-सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स

ट्राई-सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स अपनी तरह का पहला पाठ्यक्रम हैं, जिसका आयोजन **हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ** के तत्वावधान में किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान** की पहल का हिस्सा है, और इसका उद्देश्य **मेजर जनरल से लेकर मेजर रैंक** के अधिकारियों को आधुनिक युद्ध की बदलती तकनीकी और परिचालन चुनौतियों से परिचित कराना है।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य:

इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को भविष्य के युद्धों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है, जैसे कि:

- **संपर्क और संपर्क रहित युद्ध**
- **गतिज और गैर-गतिज युद्ध**
- **मनोवैज्ञानिक और सूचनात्मक युद्ध**

यह कोर्स उन क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा जहां भविष्य के युद्ध लड़े जाएंगे, जिनमें **साइबर, अंतरिक्ष,** और **विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम** शामिल हैं। इसके अलावा, **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), रोबोटिक्स, और हाइपरसोनिक्स** जैसी उभरती और विघटनकारी तकनीकें कैसे युद्ध के संचालन को प्रभावित करेंगी, इस पर भी गहन चर्चा की जाएगी।

महत्व और आवश्यकता:

तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए इस तरह के पाठ्यक्रम की आवश्यकता **आधुनिक युद्ध की तेजी से बदलती प्रकृति** और **तकनीकी प्रगति** को समझने के लिए उत्पन्न हुई है। इसमें **वैश्विक गतिशीलता और उभरते खतरों** को भी ध्यान में रखा गया है। इस कोर्स का उद्देश्य अधिकारियों को नई तकनीकों का सही उपयोग करने और इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में **अभिनव रणनीतियों** को लागू करने में सक्षम बनाना है।

लाभ:

- **सेना की एकजुटता को बढ़ाना**
- **अधिकारियों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना**
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयार और सशक्त बल का विकास**

इस पाठ्यक्रम को **हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ** ने अनुभवी और सेवारत विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया है। भविष्य में इस पाठ्यक्रम के आधार पर और भी कोर्स तैयार किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को **"भविष्य के लिए तैयार"** करना होगा।

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR)

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने **एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR)** के कार्यों पर स्पष्टता दी है, जिसमें कहा गया है कि AOR को केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए जो विशेष दिन पर मामले में उपस्थित होने और बहस करने के लिए अधिकृत हैं।

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के बारे में जानकारी:

- ☑ **संविधानिक आधार:** AOR की अवधारणा भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 145(1)** के तहत पेश की गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को प्रथाओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार है।
- ☑ **भूमिका:** AOR एक कानूनी पेशेवर होता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने और पैरवी करने का **विशेष अधिकार** प्राप्त होता है। यह सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार वाले अधिवक्ताओं की विशिष्ट श्रेणी है।
- ☑ **विशेष अधिकार:** AOR को सर्वोच्च न्यायालय में **मामला दायर करने और उसका संचालन** करने का विशेष अधिकार होता है। सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं को AOR द्वारा पंजीकृत क्लर्क की सहायता से पूरा किया जाता है, जिसमें **याचिकाएं, आवेदन और अन्य कानूनी दस्तावेजों** का मसौदा तैयार करना शामिल है।
- ☑ **प्रक्रिया:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी **नोटिस या आदेश सीधे** AOR को भेजा जाता है। वे न्यायालय के नियमों और प्रक्रियाओं में विशेषज्ञ होते हैं और कानूनी मामलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ☑ **विशिष्टता:** भारत के किसी अन्य उच्च न्यायालय में ऐसा प्रावधान नहीं है।

AOR बनने के लिए आवश्यकताएँ:

सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश **IV नियम 5** के तहत, AOR बनने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ हैं:

- किसी **राज्य बार काउंसिल** में नामांकित होना।
- कम से **कम 4 वर्ष** का पूर्व अनुभव।
- वरिष्ठ AOR के अ**धीन एक वर्ष का प्रशिक्षण।**
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित **परीक्षा में उपस्थित होना।**
- दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के **भवन से 10 मील की परिधि में** कार्यालय खोलना और पंजीकृत क्लर्क नियुक्त करने का वचन देना।

एक बार पंजीकृत होने पर, AOR को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है, जिसका उपयोग SC में दायर सभी दस्तावेजों पर किया जाता है।

आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 20 सितंबर, 2024 को झारखंड के रांची में **आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान (एनआईएसए)** के शताब्दी समारोह में भाग लिया।

ICAR-NISA के बारे में:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान (एनआईएसए) की स्थापना **1924** में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के रूप में **रांची, झारखंड** में की गई थी। 2022 में इसका नाम बदलकर **ICAR-NISA** कर दिया गया। यह संस्थान **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के अंतर्गत कार्य करता है और **द्वितीयक कृषि** को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

द्वितीयक कृषि:

द्वितीयक कृषि का तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो प्राथमिक कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करती हैं और अन्य **कृषि-संबंधी गतिविधियों** जैसे **मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, और कृषि पर्यटन** को शामिल करती हैं। इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएँ शामिल हैं:

- ✓ **कृषि उपज, अवशेष और उप-उत्पादों** को **फार्मास्यूटिकल, औद्योगिक** और खाद्य उपयोगों के लिए उच्च मूल्य वाली वस्तुओं में परिवर्तित करना।
- ✓ **खाद्य और गैर-खाद्य प्रसंस्करण** जैसे अनाज से विटामिन निकालना, चावल की भूसी से तेल बनाना, और गन्ने से गुड़ का उत्पादन करना।

विकास की संभावनाएँ:

- उपभोक्ता मांग में वृद्धि के कारण **मूल्य-संवर्धित उत्पादों** (रेडी-टू-ईट और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ) की बढ़ती आवश्यकता।
- **नवीकरणीय कृषि-जैव संसाधनों** के उपयोग का बढ़ता महत्व।
- **कृषि उपोत्पादों** की बड़ी मात्रा, जिन्हें उचित तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

द्वितीयक कृषि का महत्व:

- ☑ **पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ:** फसल अवशेषों और कृषि अपशिष्टों का पुन: उपयोग कर प्रदूषण कम होता है।
- ☑ **किसानों की आय में वृद्धि:** मधुमक्खी पालन, लाख पालन जैसी गतिविधियों से किसानों की आमदनी बढ़ती है।
- ☑ **मूल्य संवर्धन:** कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और उनकी कुल उत्पादकता में सुधार करता है।
- ☑ **कुटीर उद्योगों का विकास:** कृषि आधारित कुटीर उद्योगों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)** की स्थापना और उसके **ढांचागत समझौते** पर हस्ताक्षर कर भारत को इसका सदस्य बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। यह गठबंधन दुनिया की **सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता** - के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए समर्पित है।

भारत में पांच प्रमुख **बिग कैट्स (बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, और चीता)** पाए जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य न केवल भारत में, बल्कि अन्य देशों में भी बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को स्थिर करना और उनके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना है।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) के प्रमुख उद्देश्य:

- ☑ **बिग कैट्स और उनके आवासों की सुरक्षा:** प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और इन बिल्लियों के निवास स्थानों का संरक्षण।
- ☑ **सदस्य देशों और संगठनों का समन्वय: 95 देशों** के साथ मिलकर इस उद्देश्य को पूरा करने का लक्ष्य।
- ☑ **प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग:** जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को कम करना और प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना।
- ☑ **वैश्विक सहयोग:** बिग कैट्स संरक्षण के क्षेत्र में सामूहिक रूप से चुनौतियों का समाधान करना।

प्रमुख कदम:

- ✓ भारत ने वर्ष **2023-24 से 2027-28** तक के लिए **150 करोड़ रुपये** का एकमुश्त बजटीय समर्थन दिया है।
- ✓ अब तक **24 देशों** और **नौ अंतरराष्ट्रीय संगठनों** ने **IBCA** का सदस्य बनने की सहमति दी है।
- ✓ **चार देशों (भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, और सोमालिया)** ने औपचारिक रूप से इस गठबंधन का सदस्य बनने की पुष्टि की है।

IBCA की विशेषताएँ:

- **पर्यावरण संरक्षण में योगदान: जल और खाद्य सुरक्षा** के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद।
- **साझा प्रयासों को बढ़ावा:** देशों के बीच सहयोग और लंबी अवधि के संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्रवाई।
- **पारिस्थितिक भविष्य को सुरक्षित करना:** बिग कैट्स के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना।

जैव ईंधन और सतत विमानन ईंधन (SAF)

भारत और **ब्राजील** के बीच बैठक में **ऊर्जा सहयोग** और **सतत विकास** पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच **तेल एवं गैस क्षेत्र, जैव ईंधन,** और **सतत विमानन ईंधन (SAF)** के उत्पादन और उपयोग को लेकर सहयोग को बढ़ावा देना था।

ऊर्जा क्षेत्र में मौजूदा सहयोग की समीक्षा:

- ✓ भारतीय कंपनियों के निवेश से ब्राजील **भारतीय तेल और गैस कंपनियों** के लिए सबसे बड़ा गंतव्य बन गया है।
- ✓ **नए निवेश अवसर** और **भारतीय कंपनियों की उपस्थिति बढ़ाने** पर चर्चा हुई।

जैव ईंधन सहयोग:

- ✓ दोनों देश **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन** के संस्थापक सदस्य हैं।
- ✓ जैव ईंधन को ऊर्जा स्रोतों में बदलाव का प्रमुख घटक माना गया, जो **पर्यावरणीय स्थिरता** और **सामाजिक-आर्थिक विकास** में योगदान देगा।

सतत विमानन ईंधन (SAF) पर सहयोग:

- दोनों पक्षों ने **SAF उत्पादन** और **उपयोग** के लिए साझेदारी की संभावना पर जोर दिया।
- SAF को विमानन क्षेत्र में **नेट जीरो लक्ष्य** को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन माना गया है।
- **SAF उत्पादन** के लिए आवश्यक **अवसंरचना, कच्चे माल, और लागत** चुनौतियों पर चर्चा की गई।

SAF उत्पादन में सहयोग के लिए पांच मुख्य मार्ग:

- इथेनॉल उत्पादन का अधिकतम उपयोग।
- प्रौद्योगिकी विनिमय और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सहयोग।
- निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतिगत व्यवस्थाएँ साझा करना।
- उत्पादन प्रक्रियाओं के तकनीकी स्तर को उन्नत करना।
- ICAO जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाना।

व्यापक साझेदारी के लाभ:

- ☑ **रोजगार सृजन, आयात निर्भरता में कमी,** और **नवीकरणीय ऊर्जा में नवाचार** के जरिए दोनों देश **सतत विकास लक्ष्यों** की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।
- ☑ **विमानन के कार्बन उत्सर्जन** को कम करने में इस साझेदारी का वैश्विक स्तर पर बड़ा योगदान होगा।

यह सहयोग **भारत और ब्राजील** के बीच **सतत विकास** और **ऊर्जा सुरक्षा** को मजबूत करेगा और दोनों देश **स्वच्छ और हरित भविष्य** की दिशा में अग्रसर होंगे।

अमेरिका से 297 प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी

भारत और अमेरिका के बीच **सांस्कृतिक संबंधों** को बढ़ावा देने और **सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा** के लिए सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से, **जुलाई 2024** में एक महत्वपूर्ण **सांस्कृतिक संपत्ति समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच **सांस्कृतिक संपत्तियों की सुरक्षा और तस्करी** की गई प्राचीन वस्तुओं की वापसी को सुनिश्चित करना है। यह कदम राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2023 में किए गए सांस्कृतिक सहयोग के वादों का हिस्सा था।

297 प्राचीन वस्तुओं की वापसी:

प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान, अमेरिकी सरकार ने भारत से **तस्करी की गई या चोरी की गई 297 प्राचीन वस्तुओं** की **वापसी** में मदद की। इनमें से कुछ वस्तुएं **विलमिंगटन, डेलावेयर** में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी गईं। इन कलाकृतियों में भारत की **ऐतिहासिक भौतिक संस्कृति** के अलावा, भारत की **सभ्यता और चेतना** के गहरे संबंध भी जुड़े हुए हैं।

प्राचीन वस्तुओं का महत्व:

इन पुरावशेषों की **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता** बहुत अधिक है। ये प्राचीन वस्तुएं लगभग **4000 साल पुरानी** हैं और इनका संबंध **2000 ईसा पूर्व से 1900 ईसवी तक** के समय से है। इनमें से कुछ विशेष पुरावशेषों में शामिल हैं:

- ☑ बलुआ पत्थर की अप्सरा – मध्य भारत, 10-11वीं शताब्दी ई.
- ☑ कांस्य में जैन तीर्थंकर – मध्य भारत, 15-16वीं शताब्दी ई.
- ☑ टेराकोटा फूलदान – पूर्वी भारत, 3-4वीं शताब्दी ई.
- ☑ पत्थर की मूर्ति – दक्षिण भारत, 1वीं शताब्दी ई.पू.-1वीं शताब्दी ई.
- ☑ कांस्य में भगवान गणेश – दक्षिण भारत, 17-18वीं शताब्दी ई.
- ☑ बलुआ पत्थर में भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति – उत्तर भारत, 15-16वीं शताब्दी ई.
- ☑ कांस्य में भगवान विष्णु – पूर्वी भारत, 17-18वीं शताब्दी ई.
- ☑ तांबे की मानवरूपी आकृति – उत्तर भारत, 2000-1800 ई.पू.
- ☑ कांस्य में भगवान कृष्ण – दक्षिण भारत, 17-18वीं शताब्दी ई.
- ☑ ग्रेनाइट में भगवान कार्तिकेय – दक्षिण भारत, 13-14वीं शताब्दी ई.

2016 से भारत और अमेरिका के बीच **सांस्कृतिक आदान-प्रदान** और समझ को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। अब तक, अमेरिका ने भारत को **578 से अधिक प्राचीन वस्तुओं** की वापसी की है, जो किसी भी देश द्वारा भारत को लौटाई गई सबसे बड़ी संख्या है। यह वापसी दोनों देशों के बीच **सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों** को सुरक्षित रखने में सहयोग का एक मजबूत प्रतीक है।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/- Year

Enroll Now !

APNI PATHSHALA

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application
Apni Pathshala
7878158882

Apni.Pathshala
Avasthiankit
AnkitAvasthiSir
kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Pathshala

Subject

- HISTORY ,POLITY
- GEOGRAPHY
- ECONOMICS

Price 1499/-

Validity 1 Year

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

RRB NTPC

TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

TEST

Only 99 Per Year

Buy Now